समाहरणालय, किशनगंज।

उत्पाद विभाग

बिक्री अधिसूचना।

वित्तीय वर्ष 2015–16

उत्पाद प्रपत्र–127

फारम–127

"कृपया देखे पाराग्राफ–88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रैल–2015 से 31मार्च 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिये)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिये देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती **दिनांक–13.03.2015** को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10 बजे दिन से **समाहरणालय सभा कक्ष, किशनगंज** में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोबस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होनेवाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिती का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोबस्त किया जायेगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बना कर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोबस्त किया जायेगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जायेगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिये तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जायेगा। लॉटरी द्वारा निकाले गये प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोबस्ती की जायेगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं हो सके या बंदोबस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान का समूह सहित) के दुकान के लिये चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोबस्ती की जायेगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोबस्ती लेने से निरर्हित हो जायेगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती नहीं कि जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जायेगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिये तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाइट **www.excise-bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है।

6. (क) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी, जो 31मार्च 2016 तक के लिये प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है, तब भी बंदोबस्ती की तिथि से 31 मार्च 2016 तक के लिये ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है। परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिये फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटोयुक्त पहचानपत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशनकार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोबस्त की जाने वाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिये भी आवेदन दे सकता है, बशर्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिये आवेदन देगा उस पर विभाग द्वारा निर्धारित अलग अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटायी नहीं जायेगी। परंतु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिती में भी एक दुकान को एक समूह माना जायेगा।

(ख) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त की जाने वाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिये प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जाने वाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिये निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिये निर्धारित किये गये आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंसियल तथा लो पोटेंसियल जोन के लिये
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिये	रू0 5000 (पॉच हजार)
नगर परिषद क्षेत्र के लिये	रू0 4000 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिये	रू0 3000 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय(जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेने वाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिये अलग–अलग निर्धारित दर पर ही जमा करायी जायेगी, न की समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हे समूह के दुकान के लिये एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छुट दी जायेगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिये आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहॉ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिये भी आवेदन दे सकते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिये वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगाः–

(क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख) वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इनसॉलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उस पर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है,

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है,

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्टभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास अवधि का सजायफ्ता नहीं है, और

(v) यह अंडरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेंसी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पांच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा,। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी ;

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिये वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिये अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा,

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार),

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आईडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिये लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दुसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिये पन्द्रह (15) दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14. (क) बंदोबस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नगद जमा करना होगा।

बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पद नाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रिय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोबस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिये अनुरोध कर सकता है, परंतु हर हाल में माह के 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समुह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोबस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिये उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियॉं भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा-42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15 (क) जहॉं बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिये होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवॉं भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परंतु जहां बंदोबस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिये बंदोबस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच मे होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गई है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिये अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परंतु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15 (ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जवाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबंस्ती के बाद दस दिनों के अंदर आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृती/अस्वीकृती का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अंदर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिये उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश–द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहद्दी में स्थित भूमि–भवन/खाली स्थानों का **Still Photograph,** जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिती रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या **(PAN)** के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग). ग्रामीणक्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेंगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी।

17 स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलंब के लिये अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा तथा इसके लिये किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18 सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मुल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19 (क). बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परंतु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा। परंतु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख). विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग). "ऑन" बिक्री के लिये उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का **ब्लू प्रिंट** तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ). समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह की अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ). प्रत्येक प्रकार की मदिरा की बोतल/सैशे पर अधिकतम खुदरा मुल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मुल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठाई गई संपूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलंब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और ना हीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22. (क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनायें स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा :-

(i) दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि

(ii) अनुज्ञाधारी का नाम

(iii) दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम

(iv) सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मुल्य

(ख) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साइज का साइनबोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ) बंदोबस्तधारी निगम के डिपो से पास बूक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23. (क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये है, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री–अधिसूचना की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिये उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

26/2/15

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

समाहरणालयः– किशनगंज
दिनांकः– 26-2-2015

ज्ञापांकः– 94 /उ0, दिनांकः– 26/2/15

प्रतिलिपि : आयुक्त उत्पाद बिहार पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/पुलिस अधीक्षक किशनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज/जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज/सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी किशनगंज/जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/निरीक्षक उत्पाद किशनगंज/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद किशनगंज/सभी प्रबंधक देशी शराब/विदेशी शराब, कंपोजिट डिपो खगड़ा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित।

इच्छुक उम्मीदवार **दिनांकः–08/03/2015 के संध्या 5 बजे** तक अपना आवेदन पत्र अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

26/2/15

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

Desktop/kishanganj/Sale 2015-16.doc

देशी शराब दुकानों की सूचीः–

जिला–किशनगंज
वित्तीय वर्ष–2015–16

क्र0सं0	दुकान का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा		मासिक अनुज्ञाशुल्क (रूपये में)
		देशी शराब L.P.L.	म0दे0श0 L.P.L.	
नगर परिषद किशनगंज				
1	किशनगंज न0.1	4433	124	4,10,130.00
2	किशनगंज न0.2	4433	124	4,10,130.00
3	किशनगंज न0.3	4433	124	4,10,130.00
4	किशनगंज न0.4	4433	124	4,10,130.00
5	किशनगंज न0.5	4433	124	4,10,130.00
6	किशनगंज न0.6	4433	124	4,10,130.00
नगर पंचायत बहादुरगंज				
7	बहादुरगंज न0.1	1650	95	1,57,050.00
8	बहादुरगंज न0.2	1650	95	1,57,050.00
9	बहादुरगंज न0.3	1650	95	1,57,050.00
10	बहादुरगंज न0.4	1650	95	1,57,050.00
नगर पंचायत ठाकुरगंज				
11	ठाकुरगंज न0–1	1650	95	1,57,050.00
12	ठाकुरगंज न0–2	1650	95	1,57,050.00
13	ठाकुरगंज न0–3	1650	95	1,57,050.00
प्रखंड मुख्यालय				
14	कोचाधामन	921	36	86,130.00
15	टेढागाछ / मटियारी	921	36	86,130.00
16	पोठिया	921	36	86,130.00
17	दिघलबैंक / हरवाडांगा	921	36	86,130.00
	कुल योगः–	**41832**	**1553**	**39,04,650.00**

समाहर्त्ता
किशनगंज

विदेशी शराब दुकानों की सूची:–

जिला–किशनगंज
वित्तीय वर्ष–2015–16

क्र0सं0	दुकान का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी शराब L.P.L.	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बीयर B.L.	मासिक अनुज्ञाशुल्क (रूपये में)
नगर परिषद किशनगंज				
1	किशनगंज न0.1	1585	3565	2,73,400.00
2	किशनगंज न0.2	1585	3565	2,73,400.00
3	किशनगंज न0.3	1585	3565	2,73,400.00
4	किशनगंज न0.4	1585	3565	2,73,400.00
5	किशनगंज न0.5	1585	3565	2,73,400.00
6	किशनगंज न0.6	1585	3565	2,73,400.00
7	किशनगंज न0 7	1585	3565	2,73,400.00
8	किशनगंज न0 8	1585	3565	2,73,400.00
9	किशनगंज न0 9	1585	3565	2,73,400.00
10	किशनगंज न0 10	1585	3565	2,73,400.00
नगर पंचायत बहादुरगंज				
11	बहादुरगंज न0.1	1133	1783	1,87,780.00
12	बहादुरगंज न0.2	1133	1783	1,87,780.00
13	बहादुरगंज न0.3	1133	1783	1,87,780.00
14	बहादुरगंज न0.4	1133	1783	1,87,780.00
नगर पंचायत ठाकुरगंज				
15	ठाकुरगंज न0–1	1133	1886	1,88,810.00
16	ठाकुरगंज न0–2	1133	1886	1,88,810.00
17	ठाकुरगंज न0–3	1133	1886	1,88;810.00
प्रखंड मुख्यालय				
18	कोचाधामन	556	1225	95,650.00
19	टेढागाछ/मटियारी	611	1225	1,03,900.00
20	पोठिया / आमबगान	556	1225	95,650.00
21	दिघलबैंक	611	1225	1,03,900.00
	कुल योग:–	**26115**	**53340**	**44,50,650.00**

समाहर्ता
किशनगंज।

Desktop/kishanganj/Li-set 2015-16.doc

कंपोजिट शराब दुकानों की सूचीः–

जिला–किशनगंज
वित्तीय वर्ष–2015–16

क्र0सं0	दुकान का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मासिक अनुज्ञाशुल्क (रूपये में)
		देशी शराब L.P.L.	म0दे0श0 L.P.L.	वि0शराव L.P.L.	बीयर B.L.	
1	पौआखाली	1540	73	520	340	2,26,570.00
2	बरबट्टा	1320	73	520	340	2,06,770.00
3	तुलसिया	550	73	428	340	1,23,670.00
4	कन्हैयाबाड़ी	1210	73	464	340	1,88,470.00
5	लोहागाड़ा	1540	73	520	340	2,26,570.00
6	बीबीगंज	1320	73	450	340	1,96,270.00
7	छत्तरगाछ	550	73	428	340	1,23,670.00
8	खरखरी	330	60	365	340	93,250.00
9	मस्तानचौक	1155	73	441	340	1,80,070.00
10	कैरीहाट विशनपुर	2585	73	580	375	3,29,970.00
11	टप्पू	330	60	413	340	1,00,450.00
12	तैयबपुर कलियागंज	330	36	366	340	91,240.00
13	अन्धासूर	550	50	432	340	1,22,200.00
14	सिंघिया चौक	1210	73	440	340	1,84,870.00
15	अनगढ़हाट	660	50	440	340	1,33,300.00
16	झाला	600	60	385	340	1,20,550.00
17	चपड़ा बुखारी/हल्दीखोड़ा	550	50	385	340	1,15,150.00
18	फुलवरिया	550	50	385	340	1,15,150.00
19	दामलबाड़ी	330	36	330	340	85,840.00
20	महादेव दिग्घीचौक	440	50	385	340	1,05,250.00
21	कुर्लीकोट	275	36	385	340	89,140.00
22	चरघरिया	330	36	385	340	94,090.00
23	मेतिहारा	275	36	248	340	68,590.00
24	सालकी टेंगरमारी	275	36	248	340	68,590.00
25	भवानीगंज	570	36	429	340	1,22,290.00
26	शमेश्वर प्रेमनगर	385	36	248	340	78,490.00
27	साबोडांगी/कादोगॉव	440	50	248	340	84,700.00
28	गड़ियाहाट	330	36	248	340	73,540.00
29	गांगीहाट/गरवनडॉगा	275	36	248	340	68,590.00
30	गलगलिया	440	50	292	340	91,300.00
	कुल योगः–	21245	1620	11656	10235	39,08,600.00

20/1/15

समाहर्त्ता
किशनगंज।

Desktop/kishanganj/sett 2015-16.doc

उत्पाद दुकानों के समूह की सूची

जिला–किशनगंज
वित्तीय वर्ष–2015–16

समूह सं0	दुकानों की समूह			आवेदन शुल्क
1	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.1 +	कंपोजिट तुलसिया +	कंपोजिट फुलबरिया	8000=00
2	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.2 +	कंपोजिट सिंधियाचौक +	कंपोजिट मस्तान चौक	8000=00
3	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.3 +	प्र0मु0दे0श0 कोचाधामन+	कंपोजिट लोहागाड़ा	9000=00
4	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.4 +	प्र0मु0दे0दिघलबैंक / हरवाडांगा+	कं0 कैरीहाट विशनपुर	9000=00
5	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.5 +	कं0 चपड़ाबुखारी / हल्दीखोड़ा+	कंपोजिट पौवाखाली	8000=00
6	दे0श0 किशनगंज न0प0न0.6 +	प्र0मु0दे0 टेढ़ागाछ–मटियारी +	कंपोजिट बरबट्टा	9000=00
7	वि0श0किशनगंज न0प0न0.1 +	कंपोजिट खरखरी		6000=00
8	वि0श0किशनगंज न0प0न0.2 +	कंपोजिट अनगढ़हाट		6000=00
9	वि0श0किशनगंज न0प0न0.3 +	कंपोजिट मोतीहारा		6000=00
10	वि0श0किशनगंज न0प0न0.4 +	कंपोजिट बीबीगंज		6000=00
11	वि0श0किशनगंज न0प0न0.5 +	कंपोजिट टप्पु		6000=00
12	वि0श0किशनगंज न0प0न0.6 +	कंपोजिट शमेश्वर प्रेमनगर		6000=00
13	वि0श0किशनगंज न0प0न0.7 +	कंपोजिट तैयवपुर कलियागंज		6000=00
14	वि0श0किशनगंज न0प0न0.8 +	कंपोजिट भवानीगंज		6000=00
15	वि0श0किशनगंज न0प0न0.9 +	दिघलबैंक प्र0मु0वि0शराव		7000=00
16	वि0श0किशनगंज न0प0न0.10+	कंपोजिट दामलबाड़ी		6000=00
17	दे0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–1 +	वि0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–1 +	कं0 गलगलिया	8000=00
18	दे0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–2 +	वि0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–2 +	कं0 सालकीटेंगरमारी	8000=00
19	दे0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–3 +	वि0श0ठाकुरगंज न0पं0नं0–3 +	कं0 गडियाहाट	8000=00
20	दे0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–1 +	वि0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–1 +	कं0 महादेवदिघीचौक	8000=00
21	दे0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–2 +	वि0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–2 +	कं0सावोडांगी / कादोगॉव	8000=00
22	दे0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–3 +	वि0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–3 +	कंपोजिट झाला	8000=00
23	दे0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–4 +	वि0श0बहादुरगंज न0पं0नं0–4 +	कंपोजिट कुर्लीकोट	8000=00
24	देशी शराब प्र0 मु0 पोठिया			3000=00
25	वि0श0प्र0मु0–पोठिया / आमबगान			3000=00
26	वि0श0 प्र0मु0 कोचाधामन +	कंपोजिट चरघरिया +	कंपोजिट अंधासुर	7000=00
27	वि0श0प्र0मु0 टेढ़ागाछ / मटियारी			3000=00
28	कं0 कन्हैयाबाड़ी +	कं0 छत्तरगाछ +	कं0गांगीहाट / गरबनडांगा	6000=00

समाहर्त्ता,
किशनगंज।